

2022/193

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांत

बनाम


अप्रार्थी / रेस्पोजेन्ट

1. श्री रोशन शर्मा पुत्र श्री ताराचन्द शर्मा
जाति ब्राह्मण
निवासी गिरवर तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये
अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट

मुकदमा नं. 52 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.04.2022	<p>प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना रोहिडा जिला सिरोही के सी. आर. नं. 02 दिनांक 04.09.2022 में उपाधीक्षक पुलिस वृत आबूपर्वत द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का वाहन टैकर नम्बर आरजे 19 जीए 6160 पकडा गया है। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंने परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 31.03.2022 को प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 04.01.2022 को श्री संदीप जायसवाल पुत्र श्री चम्पक जायसवाल जाति कलाल निवासी देव कॉम्प्लैक्स आबूरोड पुलिस थाना आबूरोड शहर जिला सिरोही ने पुलिस थाना रोहिडा में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 04.01.2022 को सुबह लगभग 11.30 बजे मेरे पास दल्ले खां एण्ड सन्स (पेट्रोल पम्प) के मालिक श्री सागर खान का फोन आया कि शिवशक्ति होटल के पास अवैध डीजल की गाडी आई हुई है एवं उसमें से छोटी गाडी में डीजल खाली हो रहा है। जिस पर श्री सागर खान उक्त गाडी का ध्यान रखने के लिए मौके पर आए, परन्तु उनको देखते ही गाडी वाले तुरन्त आबूरोड की तरफ रवाना हो गए, जिसका पीछा श्री सागर खान द्वारा किया गया एवं श्री संदीप जायसवाल भी अपने ड्राईवर श्री हरीश डोडिया के साथ रवाना हुआ। इसके बाद वह गाडी भगवती रिसोर्टस किवरली पहुंची तो इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई। उक्त समस्त घटनाक्रम के दौरान आबूरोड निवासी श्री महेश राठौड एवं गिरवर निवासी रोशन शर्मा भी उक्त अवैध डीजल की गाडी</p>	

जिला कलक्टर, सिरोही

के साथ-साथ चल रहे थे। इसके बाद उक्त गाड़ी पुनः सिरोही की तरफ रवाना हुई एवं भीमाना के पास श्री महेश राठोड एवं श्री रोशन शर्मा व उक्त गाड़ी के ड्राइवर आदि ने अचानक लोहे के एंगलों से श्री संदीप जायसवाल व अन्य की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी गाड़ी मारुति ब्रीजा एवं श्री अनिल की गाड़ी होन्डा सिटी को तोड़-फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। दौराने अनुसंधान बारीकी से जांच करने पर उक्त घटना में प्रयुक्त वाहन डस्टर गाड़ी नम्बर आर जे 38 सीए 0793 को धारा 207 एमवी एक्ट में डिटेंन तथा टैंकर नम्बर आरजे 19 जीए 6160 को धारा 38 पुलिस एक्ट में जब्त किया गया एवं श्री महेश चन्द्र व श्री रोशन शर्मा के विरुद्ध जुर्म धारा 341, 323, 285, 286, 336, 427, 307/34 भादस व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट का अपराध व अभियुक्त श्री मुकेश कुमार जाति भील के विरुद्ध जुर्म धारा 341, 323, 285, 286, 336, 427, 307/34 भादस का अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार जरिए फर्द गिरफ्तारी की गई। दौराने अनुसंधान से पाया गया है कि अभियुक्तों ने जान-बूझकर ज्वलनशील पदार्थ अवैध बायोडीजल (तरल पदार्थ) से भरे टैंकर का वॉल खोलकर मौके पर फैलाया। यह वास्तव में लाईसेंसशुदा बायोडीजल होता तो मुल्जिमान द्वारा उक्त ज्वलनशील पदार्थ को खुद-बुर्द नहीं किया जाता। अभियुक्तों द्वारा जान-बूझकर इसे फैलाया गया, जो वास्तव में लाईसेन्सशुदा बायोडीजल नहीं होकर अवैध डीजल था जो बरामदगी के भय से मुल्जिमानों ने खुद बुर्द कर जमीन में फैलाया गया। अभियुक्तों को पूर्ण ज्ञान था कि उक्त डीजल अवैध है। अभियुक्तों द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 3/7 ई.सी. एक्ट का भी अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने से धारा 3/7 ई.सी. एक्ट जोड़ी गई। अतः भारी मात्रा में अवैध रूप से डीजल को बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप परिवहन करने से अपराध धारा 407,379,411 भादस का उल्लघन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री सूर्यवीर सिंह आढा व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का स्वामी श्री रोशन शर्मा पुत्र श्री ताराचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गिरवर तहसील आबूरोड जिला सिरोही केवल मात्र वाहन का एक मात्र स्वामी है एवं वाहन के थाने में पड़े रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जांच नहीं की जानी है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Petition No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminal Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Seized carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

अतः वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन को कब्जे सरकार लिया गया है। एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है।

ऐसी स्थिति में वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस आबूपर्वत द्वारा थाना रोहिडा के मुकदमा संख्या 02 दिनांक 04.01.2022 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में टैंकर नम्बर आरजे 19 जीए 6160 को कब्जे सरकार कब्जे सरकार लिया गया है। वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंने दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना रोहिडा के एफ आई आर क्रमांक 02 दिनांक 04.01.2022 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा टैंकर नम्बर आरजे 19 जीए 6160 को प्रार्थी द्वारा डीजल चोरी करते हुए पाए जाने से वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अनुसन्धान जारी है। यह है कि उपाधीक्षक पुलिस वृत्त आबूपर्वत जिला सिरोही के द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिए पत्र क्रमांक 1293 दिनांक 01.04.2022 में स्पष्ट किया गया है कि उक्त वाहन से सम्बन्धित प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई अनुसंधान शेष नहीं है। अतः वाहन को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नहीं पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है जिससे वाहन मालिक को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है ।

2-11-20
जिला कलेक्टर, सिरोही

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Petition No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminal Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Seized carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 08,00,000/- की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना रोहिडा को भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें।

Belloo
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलेक्टर, सिरोही